

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

GCMS No. 2021 /  
Manual no- 79/2021

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0  
(Bank Case)

कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी - 18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड़, तलवण्डी, कोटा राजस्थान-324005 जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय कुमार सैनी  
- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्रीमती भूली बाई पत्नि श्री शांती प्रसाद दाधीच (ऋणी/अप्रार्थीगण )  
पता- मकान नं.-2-बी-11, मोती सिंह की गली, कहारों का मुहल्ला, कंसूआ, उद्योगपुरी, कोटा (राज.)
2. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री शांती प्रसाद दाधीच (सहऋणी)  
पता- मकान नं.-2-बी-11, मोती सिंह की गली, कहारों का मुहल्ला, कंसूआ, उद्योगपुरी, कोटा (राज.)
3. श्री मुकेश दाधीच पुत्र श्री गीरधर गोपाल शर्मा (जमानती)  
पता: म.नं. 211, आर.के.पुरम, कोटा, राजस्थान

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्वोरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 08.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी -18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड़, तलवण्डी, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी को ऋण खाता संख्या 188205000057 में कुल रूपये रु. 5,00,000 (अक्षरें: रूपये पांच लाख मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 28.08.2017 को लिया था । अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्रीमती भूली बाई पत्नि श्री शांती प्रसाद दाधीच की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 2-बी-11, मोती सिंह की गली, कहारों का मुहल्ला, कंसूआ, उद्योगपुरी, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 484 वर्ग फीट है। जो जयें विक्रय पत्र से श्रीमती भूली बाई पत्नि श्री शांती प्रसाद दाधीच के नाम है। सीमाएं- पूर्व में- चौथमल का मकान, पश्चिम में- राम निवास का मकान, उत्तर में- उमराव सिंह का मकान, दक्षिण में- रोड़ है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 31.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते में 4,88,525/- (अक्षरें रूपये चार लाख अठ्यासी हजार पाच सौ पच्चीस मात्र।)


24  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)

बकाया रकम दिनांक 1.09.2019 तक शेष देय है व दिनांक 2.09.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 3.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 3.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 3.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्रीमती भूली बाई पत्नि श्री शांती प्रसाद दाधीच की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 2-बी-11, माती सिंह की गली, कहारों का मौहल्ला, कंसूआ, उद्योगपुरी, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 484 वर्ग फीट है। जो जय विक्रय पत्र से श्रीमती भूली बाई पत्नि श्री शांती प्रसाद दाधीच के नाम है। सीमाएं- पूर्व में- चौथमल का मकान, पश्चिम में- राम निवास का मकान, उत्तर में- उमराव सिंह का मकान, दक्षिण में- रोड है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 08-09.2021 को सुनाया गया।

  
(उज्ज्वल राठौड़)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)